पत्रांक- 3/एम0-04/2025सा0प्र0....../

बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर सरकार के अपर मुख्य सचिव

सेवा में

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभागाध्यक्ष पुलिस महानिदेशक सभी प्रमण्डलीय आयुक्त सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक-<u>29%</u> 2025

विषयः--- सरकारी सेवकों के सेवाकाल में संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को उनकी सेवानिवृत्ति तक अनिष्पादित रहने पर बिहार पेंशन नियमावली के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में सम्परिवर्तित करने का औपचारिक आदेश निर्गत नहीं करने के संबंध में।

प्रसंगः— सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या—1893 दिनांक— 14.06.2011 की कंडिका—2(15)

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई— बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का सम्यक् अनुसरण करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या—1893 दिनांक—14.06.2011 द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन निर्गत है। उक्त परिपत्र की कंडिका—2(15) द्वारा निम्न मार्गदर्शन दिया गया है—

"(15) विभागीय कार्यवाही के चलते रहने के दरम्यान आरोपित सरकारी सेवक के सेवानिवृत्त हो जाने पर विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी। ऐसे मामलों में नियम 43(बी) के तहत कोई नया आदेश निर्गत नहीं कर कार्यवाही के नियम-43(बी) के तहत स्वतः परिवर्तन संबंधी एक आदेश निर्गत करना ही पर्याप्त होगा। ऐसे मामलों में विभागीय कार्यवाही का ताजा आदेश कदापि निर्गत नहीं किया जाय। नियम 43(बी) के तहत कोई नया (ताजा) आदेश वैसे ही मामलों में निर्गत हो सकता है जहाँ सेवानिवृत्ति के बाद आरोप-पत्र निर्गत किया गया हो।" 2. उक्त संदर्भ में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा पटना उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा शम्भु शरण बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [2000(1)PLJR665] में पारित न्यायादेश की कंडिका—8 का उल्लेख करते हुए परामर्शित किया गया है कि वर्णित परिस्थितियों में विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम—43(ख) के तहत संपरिवर्तित करने का औपचारिक आदेश निर्गत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. शम्भु शरण बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [2000(1)PLJR665] में पारित न्यायादेश की कंडिका---8 निम्नवत् है---

"Para-8 - The other point to be noticed is that a distinction is made in Rule 43(b) between a case where a disciplinary enquiry is already pending at the time of such superannuation and where no such disciplinary enquiry is pending at the time of retirement. Certain safeguards have been provided so that there may be no undue harassment after retirement when no proceeding had been initiated before his retirement. Even though there is no pending disciplinary proceeding at the time of such retirement, certain conditions, as contemplated by clauses (i), (ii) and (iii) thereof, are imposed for safeguarding the interest of the Government Servant concerned. Certain limitations on the powers of the authority concerned to initiated a fresh proceeding after retirement, where no such proceeding was initiated before such retirement, have been provided for to prevent any misuse of such power. But the question of providing such safeguard does not arise if there is already a disciplinary proceeding pending at the time of the superannuation of the Government Servant concerned. There is no question of any harassment in such a case and, accordingly, no condition has been imposed. These is a good reason for the same. Unless that power is conferred by virtue of the said provision, once a retitement takes place, then the employee concerned can easily say that he was beyond the scope of any action whatsoever. In that view of the matter, this provision has been made in the rule itself and the rule itself contemplates that a disciplinary proceeding, if already initiated, can be continued even after retirement. As we have already stated, that can be spelt out from the language of the provision itself, and, in any view of the matter, that can be spelt out by necessary implication. Accordingly, in our view, it is open to an authority concerned to continued with a disciplinary enquiry which was initiated before his retirement. In our opinion, once such proceeding is started, even if the person concerned retires from service, such proceeding can be continued and it is not required that there must be any government order to that effect before it can be allowed to continue. No such condition has been laid down in Rule-53 in respect of a case where such a proceeding has already been initiated as required by the three conditions in respect of initiation of a fresh proceeding after such retirement. We cannot import the requirement of such a condition which is not in the rules. This would be against the Principle of cassus omissus. If we accept the contention that such an order of the government is required before such proceeding can be continued, than we shall be introducing a condition rule, which the rule does not provide for. In that view of the matter, we agree with the views expressed by the latter Division Bench and we hold that the Division Bench decision in the case of Singheshwari Sahay vs. State of Bihar and Others reported in 1979 BBCJ 735 has not been correctly decided."

4. वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या—1893 दिनांक—14.06.2011 की कंडिका—2(15) द्वारा संसूचित मार्गदर्शन को निम्नवत् संशोधित किया जाता है--

(15) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही के चलते रहने के दरम्यान आरोपित सरकारी सेवक के सेवानिवृत्त हो जाने पर अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ववत् चलती रहेगी। ऐसे मामलों में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के प्रावधान के तहत विभागीय कार्यवाही के संचालन का न तो कोई नया आदेश निर्गत किये जाने की आवश्यकता है और न ही पूर्व से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित करने का आदेश निर्गत किये जाने की।

नियम 43(बी) के तहत कोई नया(ताजा) आदेश वैसे ही मामलों में निर्गत हो सकता है जहाँ सेवानिवृत्ति के बाद आरोप--पत्र निर्गत किया गया हो।"

5. अतः अनुरोध है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों / कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाय।

विश्वासभाजन मिक्रक्रम राजेन्दर) (डॉ0 बी0 राजे

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3/एम0-04/2025सा0प्र0...17.87..../पटना--15, दिनांक- 29.01.25 प्रतिलिपि- (1) महाधिवक्ता बिहार, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्र संख्या--136 दिनांक--19.09.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

(2) सचिव, संसाधन, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या-30(पें0) दिनांक-13.01.2025 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)

(डॉ0 बी0⁴राजेन्दर) सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक—3 / एम0—04 / 2025सा0प्र0..../.7..87.... / पटना—15, दिनांक— 29.01.25 प्रतिलिपि— सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी तक), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1 29/1/25

(गुफरान अहमद) सरकार के अपर सचिव